



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122023-250901
CG-DL-E-26122023-250901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 854]
No. 854]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2023/पौष 5, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2023/PAUSA 5, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2023

संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (761).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 18538 (भाग 3) : 2023/आई एस ओ 19880-3 : 2018 गैसीय हाइड्रोजन — फ्यूलिन्ग स्टेशन भाग 3 वाल्व	18 दिसम्बर 2023	लागू नहीं	लागू नहीं

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	आई एस 18538 (भाग 5) : 2023/आई एस ओ 19880-5 : 2019 गैसीय हाइड्रोजन — फ्यूलिन्ग स्टेशन भाग 5 डिस्पेंसर होज और होज असेंबली	18 दिसम्बर 2023	लागू नहीं	लागू नहीं
3	आई एस 18538 (भाग 8) : 2023/आई एस ओ 19880-8 : 2019 गैसीय हाइड्रोजन — फ्यूलिन्ग स्टेशन भाग 8 ईंधन की गुणवत्ता नियंत्रण	18 दिसम्बर 2023	लागू नहीं	लागू नहीं

पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./637/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2023

Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (761).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be withdrawn, if any	Date of withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 18538 (Part 3) : 2023/ISO 19880-3 : 2018 Gaseous Hydrogen — Fuelling Stations Part 3 Valves	18 December 2023	NA	NA
2	IS 18538 (Part 5) : 2023/ISO 19880-5 : 2019 Gaseous Hydrogen — Fuelling Stations Part 5 Dispenser Hoses and Hose Assemblies	18 December 2023	NA	NA
3	IS 18538 (Part 8) : 2023/ISO 19880-8 : 2019 Gaseous Hydrogen — Fuelling Stations Part 8 Fuel Quality Control	18 December 2023	NA	NA

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./637/2023-24]